227

संo- 429/IV(2)-शoविo-12-266(साo)/05

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक- 27मार्च, 2012

विषय : तत्कालीन नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से पालिका भवन निर्माण/शांपिग काम्पलैक्स के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत कार्य की चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संo 306/V-शoवि-06-266(साo)/05 दिनांक 15-2-2006, शासनादेश संख्या 1787/IV(2)-शoवि-09-266(साo)/05 दिनांक 4-1-2010 तथा शासनादेश संख्या 253/IV(2)-शoवि-11-266(साo)/05 दिनांक 16-5-2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से तत्कालीन **नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी** हेतु अवस्थापना विकास के अन्तर्गत दो कार्यो की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति ₹ 399.92 लाख की प्रदान करते हुए ₹ 360.90 लाख एवं ₹ 39.02 लाख अवमुक्त किये गये थे, जिनमें से कार्यालय भवन निर्माण/शांपिग काम्पलैक्स कार्य हेतु ₹ 273.45 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 261.91 लाख एवं ₹ 11.54 लाख, कुल ₹ 273.45 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त के क्रम में प्रशासक/जिलाधिकारी, नगर निगम, हल्द्वानी के पत्र संख्या 591/पुर्नआo/2011 दिनांक 27-8-2011 द्वारा उक्त कार्य का पुनरीक्षित आगणन ₹ 561.47 लाख का उपलब्ध कराया गया है, जिसका शैड्यूल दरों के आधार पर गणना एवं परीक्षण कर टीoएoसीo द्वारा ₹ 406.50 लाख उपयुक्त बताया गया है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 15-2-2006 द्वारा स्वीकृत उपरोक्त कार्य की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति ₹ 406.50 लाख की प्रदान करते हुए तृतीय किस्त के रूप में **₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) उक्त धनराशि **₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर निगम को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

(ii) शासनादेश संख्या 306/V-शoवि-06-266(साo)/05 दिनांक 15-2-2006 तथा शासनादेश संख्या 253/IV(2)-शoवि-11-266(साo)/05 दिनांक 16-5-2011 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त राज्य सरकार से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। शेष धनराशि नगर निगम अपने/अन्य साधनों से वहन करेगा।

(iv) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(v) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

(vii) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(viii) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(xii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 273/XXVII(2)/2012, दिनांक– 27 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0– 425 (1)/IV(2)-श0वि0–12,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. प्रशासक, नगर निगम, **हल्द्वानी**।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।